न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —07 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 14

1. अर्जुनदास पुत्र श्री गुलाब राय जाति सिन्धी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा राज0
2. धनवन्ती देवी पत्नी श्री अर्जुनदास जाति सिन्धी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. दिलीप पुत्र श्री अर्जुनदास जाति सिन्धी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा
2. योगिता पत्नी श्री दिलीप जाति सिन्धी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 29.11.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा मिसल नंबर 28 / 2024 अन्तर्गत धारा 32

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद अकरम, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ब्रजेश जोशी, शबनम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं० 2

निर्णय

दिनांक—17.06.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थी का मकान नं0 59, गायत्री विहार द्वितीय, बोरखेडा, कोटा से अप्रार्थीगण की बेदखली की प्रार्थना पर दिनांक 29.11.2024 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणेत किया जा सकें । जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्व करने में असमर्थ रहे है । अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थीगण के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करें एवं उपरोक्त वर्णित मकान 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

2. उक्त आदेश दिनांक 29.11.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.01.2025 को पेश की गई है कि अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 32 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.11.2024 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय को पारित किए जाते समय ज्यूडिशियल माइंड का प्रयोग नहीं किया तथा कानून के सर्वमान्य सिद्वान्तों के

जिला कलक्टर
कोटा

विपरीत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं उसका अवालोकन एवं विवेचन किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । रेस्पो0 नं0 2 की ओर अभिभाषक श्री ब्रजेश जोशी, शबनम का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट नं0 2 उपस्थित । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है उन्होने अपनी स्वअर्जित आय से एक सम्पत्ति जो कि मकान नम्बर 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा पर बनायी थी जिसका स्वामित्व अपीलान्ट का है और जिस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट का नहीं है परन्तु रेस्पोडन्ट कम 1 जो कि अपीलान्ट का नैसर्गिक पुत्र है इस कारण वह जन्म से ही अपीलान्ट के साथ निवास कर रहा है परन्तु जब रेस्पो0 नं0 1 का विवाह रेस्पा0 नं0 2 के साथ किया गया तब से वह रेस्पो0 नं0 2 के बहकावे में आकर अपीलान्ट को उनकी स्वयं की सम्पत्ति से बाहर निकालना चाहता है । बेवजह अपीलान्ट को परेशान होना पड़ा दोनों रेस्पेडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उनके द्वारा अपीलान्ट का कोई कार्य नहीं किया जाता है वरन इन सबके विपरीत अपीलान्ट का जो भी सामान होता उन सभी सामानों को रेस्पोडेन्ट जबरन ले जाते , चूंकि दोनों रेस्पोडेन्ट आपस में मिले हुए है इसी कारण रेस्पेडेन्ट नं0 2 ने जो कार्यवाहियां रेस्पोडेन्ट नं0 1 सहित दोनों अपीलान्ट्स के विरूद्व की है जो न्यायालय में जेरकार होने के बावजूद भी दोनों रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के मकान में साथ साथ निवास कर रहे है जो कि स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित करता है कि दोनों रेस्पोडेन्ट एक सोची समझी साजिश के तहत अपीलान्ट के विरूद्व आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए यह कार्य उन्हें उनके मकान से निकालने के संबंध में कर रहे है । चूंकि रेस्पो0 कम 1 अपीलान्ट का पुत्र है जो पूरी तरह रेस्पोडेन्ट कम 2 के दबाव में है और वे कोई भी अनहोनी घटना अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट कम 2 के साथ मिलकर कर सकते है और अपीलान्ट को यह पूर्ण विश्वास है कि वे रेस्पोडेन्ट के कारण उनके स्वयं के मकान में सुरक्षित नहीं है जिसके फलस्वरूप अपना जीवन स्वतंत्र रूप से नहीं जी पा रहे है । साथ ही अपीलान्ट के खरीदशुदा सम्पत्ति को रेस्पेडेन्ट्स उनके नाम करवाना चाहते है जबकि इन सबके विपरीत दोनों अपीलान्ट वृद्व है जिन्होने रेस्पोडेन्ट्स को अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित कर बेदखल भी कर रखा है । इसी कारण आवश्यक हो गया है कि रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट के स्वामित्व कब्जे वाले मकान से निकलवाया जाना चाहिए, इस प्रार्थना पत्र को अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट्स को न्यायालय द्वारा तलब किया गया जिसका कि कोई सन्तोषप्रद जवाब रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा नहीं दिया गया तथा इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा मजबूरन रेस्पोडेन्ट कम 2 को अपने दबाव में रख रखा है । परन्तु इन सबके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के तहत अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2024 को निरस्त कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि दोनों अपीलान्ट अपनी वृद्वावस्था और शारीरिक रूप से असहाय हो चुके है उनके शांतिपूर्ण जीवन यापन के संबंध में भी कोई गौर नहीं किया है जबकि जिस प्रकार के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे जिसके तहत एक और तो स्वयं रेस्पोडेन्ट कम 2 जयपुर में कई प्रकार के मुकदमों के तहत कार्यवाहियां कर रही है जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 2 ने रेस्पोडेन्ट कम 1 को भी अपीलान्ट के साथ पक्षकार बनाया हुआ है वहीं दूसरी और रेस्पोडेन्ट कम 2 रेस्पोडेन्ट कम 1 के साथ निवास कर रही है जो कि दोनों रेस्पोडेन्ट्स की बदनियती को स्पष्ट करता है, साथ ही अपीलान्ट को प्रताडित किए जाने के तथ्यों की भी बखूबी पुष्टि करता है, इन तथ्यों के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय को दोनों रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट के मकान से बाहर निकाले जाने के संबंध में आदेश पारित किया जाना चाहिए और जिस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय ने

जिला कलक्टर
कोटा

अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है वह गलत प्रकार से किया है जिसके फलस्वरूप भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 29.11.2024 निरस्त किया जाने योग्य है तथा यह आवश्यक है कि इस आदेश को निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट के मकान से बाहर निकाला जाने के संवंध में आदेश पारित करते हुए अपील को स्वीकार फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण अपीलांटान का यह प्रकट करना असत्य कथन है कि अप्रार्थी कम–1 अप्रार्थी कम–2 के वहकावे में आकर प्रार्थीगण अपीलांटान के साथ दुर्व्यवहार करने लगा हो तथा वहकावें में आकर प्रार्थीगण को उनके नाम की सम्पत्ति में से बाहर निकालना चाहता हो बल्कि अप्रार्थी कम 1 एवं प्रार्थी कम 1 के विरूद्व अप्रार्थी कम 2 द्वारा गलत हरकते करने की वजह से एवं मारपीट झगडा कर गाली गलोच करने की वजह से विधिक सूचना दिनांक 14.8.2023 को प्रेषित की गई थी जो प्रार्थी कम 1 एवं अप्रार्थी कम 1 को प्राप्त होने के पश्चात भी आचरण व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया गया, तत्पश्चात अप्रार्थी कम 2 द्वारा अप्रार्थी कम 1 एवं प्रार्थीगण के विरूद्व घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय एसीजेएम कम–1 कोटा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थी कम 1 एवं प्रार्थी की उपस्थिति हो चुकी है । इस प्रकार से प्रार्थीगण ने सोची समझी साजिश के आधार पर उल्टा तथ्य प्रकट कर झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थीया कम–2 ने कभी भी लडाई झगडा गाली गलोच नहीं किया गया है तथा नही अप्रार्थी कम 1 से मिली हुई है यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण के साथ मारपीट की हो जिससे प्रार्थीया कम–2 के चोटग्रस्त हुई हो अप्रार्थी कम 1 व 2 की आपस में कोई मिलीभगत एवं सांठ गांठ नहीं है बल्कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 की मिलीभगत से अप्रार्थीया कम 2 के चोटग्रस्त हुई है । प्रार्थीगण के विरूद्व अप्रार्थीगण ने आपस में मिलीभगत से कोई षडयन्त्र नहीं किया गया है न ही अप्रार्थी कम 1 का अप्रार्थी कम 2 से बोलचाल है तब किस प्रकार से अप्रार्थी कम 1 अप्रार्थीया कम 2 के दबाव में रह कर अनहोनी कर सकते है, केवल मात्र अप्रार्थीया कम 2 को घर से निकालने के आशय से झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । तथा जानबूझ कर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया कमक 2 के विरूद्व थाने में एप्रोच होने की वजह से झूंठी शिकायत करते है तथा नाजायज रूप से अप्रार्थीया कम 2 को परेशान करते है । अप्रार्थी कम 1 एवं प्रार्थी कम 1 के विरूद्व उत्पन्न विवाद को 23 वर्ष हो गये है जिसके चलते अप्रार्थी कम 2 के विरूद्व अप्रार्थी कम 1 एवं प्रार्थीगण की मिलीभगत से एक कमरा निवास हेतु दे रखा है जिससे स्वयं खाना अलग पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बना रही है तथा अपनी दोनों पुत्रियों का पालन पोषण करती है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यहं अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.2024 के विरूद्व दिनांक 15.01.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 32 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहे गये है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी कम 1 एवं प्रार्थीगण के विरूद्व घरेलु हिंसा से स्त्री का संरक्षण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय एसीजेएम कम 1 कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है । इसी कारण से अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टगण को वर्णित मकान से बेदखल करना चाहते है । प्रकरण प्रथम दृष्टया माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत नहीं जाने से इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.11.2024 में हस्तक्षेप करना उचित होने से यथावत रखा ज़ाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा